

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7) 2022-23 / विकास / प्रमुखस / 2162-2211

दिनांक: 13/07/2022

कार्यालय आदेश


माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 266 (सामान्य वाद विवाद घोषण संख्या 40) की अनुपालना में प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लव कुश वाटिका विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है :

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)	
4406-02-112-01-01-16 लघु निर्माण कार्य	बीकानेर	उप वन संरक्षक, बीकानेर	88.23	
		उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	88.23	
		उप वन संरक्षक, चूरु	88.23	
		उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	88.23	
	कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	88.23	
		उप वन संरक्षक, बांरा	88.23	
		उप वन संरक्षक, बूंदी	88.23	
		उप वन संरक्षक, झालावाड	88.23	
	वन्यजीव उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसंगढ	88.23	
	4406-02-789-04-01-16 लघु निर्माण कार्य	उदयपुर	उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़	88.23
			उप वन संरक्षक, भीलवाडा	88.23
		अजमेर	उप वन संरक्षक, नागौर	88.23
			उप वन संरक्षक, जोधपुर	88.23
उप वन संरक्षक, जालौर			88.23	
जोधपुर		उप वन संरक्षक, बाडमेर	88.23	
		उप वन संरक्षक, पाली	88.23	
		उप वन संरक्षक, जैसलमेर	88.23	
<b>योग</b>			<b>1499.91</b>	
4406-02-789-04-01-16 लघु निर्माण कार्य		अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	90.90
	उप वन संरक्षक, टोंक		90.90	
	भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	90.90	
		उप वन संरक्षक, करौली	90.90	
		उप वन संरक्षक, धौलपुर	90.90	
		उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	90.90	
	जयपुर	उप वन संरक्षक, अलवर	90.90	
		उप वन संरक्षक, दौसा	90.90	
		उप वन संरक्षक, जयपुर	90.90	
		उप वन संरक्षक, सीकर	90.90	
उप वन संरक्षक, झुन्झुनू		90.90		
<b>योग</b>			<b>999.90</b>	

*36.*

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)
4406-02-796-02-01-16 लघु निर्माण कार्य	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर	100.00
		उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	100.00
		उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	100.00
		उप वन संरक्षक, बांसवाडा	100.00
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, सिरोही	100.00
<b>योग:-</b>			<b>500.00</b>


1. उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ ( ) 2022-23 / Bud.Ann.40 / विकास/प्रमुवसं/4103-13 दिनांक 13.07.2022 से जारी दिशा - निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. उक्त आवंटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग 30 सितम्बर 2022 तक सुनिश्चित किया जावे।
3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे।

  
 (अमर सिंह गोठवाल)  
 मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)  
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2022-23 / विकास / प्रमुवस / 2163-2211 दिनांक: 13.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर/बीकानेर/ जोधपुर/ कोटा/उदयपुर /जयपुर/अजमेर/ वन्यजीव उदयपुर/ वन्यजीव जोधपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, बीकानेर/ श्रीगंगानगर /चुरू/हनुमानगढ़/कोटा/बारां/बूंदी/झालावाड/ वन्यजीव राजसमंद/ चित्तौड़गढ़/भीलवाडा/ नागौर/जोधपुर/जालौर/बाडमेर/वन्यजीव जैसलमेर/ पाली/अजमेर टोंक/भरतपुर/करौली/सवाईमाधोपुर/धौलपुर/ अलवर/दौसा/ जयपुर/ सीकर/झुंझुनू/ उदयपुर/प्रतापगढ़/डूंगरपुर/ बांसवाडा/सिरोही/ सवाईमाधोपुर।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी, अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

  
 (अमर सिंह गोठवाल)  
 मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)  
 राजस्थान, जयपुर